



नकल आदेश पत्रक दिनांक 28/02/20

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : प्रयागराज, जनपद : प्रयागराज, तहसील : हंडिया  
वाद संख्या :- 00835/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201902030400835

उर्वशी घनश्याम टेक्नालाजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शेटलर विनोद कुमार सिंह बनाम गावसभा आदि  
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय



प्रस्तुत वाद वादी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम उपरदहा परगना केवाई की गाटा सं० 1345 रकबा 0.011हे० व गाटा सं० 1347 रकबा 0.011हे० व गाटा सं० 1349 रकबा 0.023हे० व गाटा सं० 1344 रकबा 0.011हे० व गाटा सं० 1350ख रकबा 0.228हे० व गाटा सं० 1389मि० रकबा 0.402हे० व गाटा सं० 1350घमि० रकबा 0.046हे० व गाटा सं० 1350मि० रकबा 0.285हे० व गाटा सं० 1389 रकबा 0.133हे० व गाटा सं० 1393 रकबा 0.342हे० व गाटा सं० 1346 रकबा 0.011हे० व गाटा सं० 1348 रकबा 0.011हे० व गाटा सं० 1352हे० रकबा 0.011हे० कुल रकबा 1.5150हे० में भवन व बाउण्ड्रीवाल बना है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है अकृषिक किये जाने की याचना की गयी है। प्रकरण की जांच तहसीलदार हण्डिया से करायी गयी। तहसीलदार हण्डिया ने अपनी जांच आख्या दिनांक 20.02.2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है अकृषिक किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। प्रकरण की जांच पुनः तहसीलदार हण्डिया से करायी गयी। तहसीलदार हण्डिया ने दिनांक 22.02.2020 को जांच आख्या आख्या प्रस्तुत किया गया कि गाटासं० 1393मि० रकबा 0.3420हे० व गाटा सं० 1389 रकबा 0.1330हे० व गाटा सं० 1389मि० रकबा 0.4020हे० व गाटा सं० 1389ठ रकबा 0.0460हे० पर ट्रस्टी भवन व बाउण्ड्रीवाल भवन व खेल का मैदान स्थित है भूमि स्थल पर अकृषिक है कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

मैंने वादी के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर आये साक्ष्यों का अवलोकन किया जिससे भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।


आदेश

अतः तहसीलदार हण्डिया की आख्यानुसार आदेश हुआ कि ग्राम उपरदहा परगना केवाई तहसील हण्डिया प्रयागराज की वर्तमान खतौनी 1421फ०-1426फ० की गाटासं० 1393मि० रकबा 0.3420हे० व


पृष्ठ संख्या :

गाटा सं० 1389 रकबा 0.1330हे० व गाटा सं० 1389मि० रकबा 0.4020हे० व गाटा सं० 1389ठ रकबा 0.0460हे० कुल रकबा 0.9230हे० भूमि को अकृषिक लगान मुक्त घोषित किया जाता है। तहसीलदार हण्डिया की जांच आख्या आदेश का अर्थ होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपतर हो।

28-2-20



11/3/20  
(सुभाष चन्द्र यादव)  
उपजिलाधिकारी  
हण्डिया प्रयागराज



मेखक ✓  
आवं से 0120लगाभग  
टिकट से 021न  
सवाल से 0278  
गाम सापल की पीलाम्बा लिट्टे एड 6

11/3/20  
12/3/20  
12/3/20



8411 इच्छापूर्णाष्टक  
 नियम 135 : धारा 143-30 प्रो. 0370

गांव का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खता खतौनी संख्या	खतौ का क्षेत्रफल	खतौ की मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए खतौ का क्षेत्रफल		विविष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खता या उसका कुछ भाग काम में लाया जाता है।	विराम टिप्पणी
					(क) खता संख्या	(ख) क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शाह उपरदा	इश्रीदीवमश्याय	00053	0-3420		1393 मि.	0-3420	इसरी अखनक	
धरु कुंभार	इजनासा विनाय	00330	0-1330		1389	0-1330	बाउनीपाल क अखन	
मरठ दसिय	सिसुनी लखतुडिकर	00433	0-4020		1389 मि.	0-4020		
मनदरकमाराय	अद-केरिदेबुल		050460		1389 मि.	0-5460		
	इस 164 काइ इजोर		0-9230		4 काइ	0-9230		
	इ/उउ अरपुअमाराय							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							
	इ/उउअर विनोर							

मनदरकमाराय  
 शाह उपरदा, 015 अलाहाबाद  
 टिकट सं. 0115  
 माल सं. 08787  
 न. प्र. सा. प. ल. का. ध. वा. अ. गी. ड. ए. 56

11/3/20  
 11/8/20  
 12/12/20